INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION IN ENGINEERING RESEARCH & MANAGEMENT ISSN: 2348-4918
PEER REVIEWED AND REFEREED JOURNAL IMPACT FACTOR: 3.693 (INTERNATIONAL JOURNAL)
13th CONFERENCE (ICOSD) 2019

सतत् विकास में सहायक शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009

डॉ. मनीष भटनागर
सहायक आचार्य, (शिक्षा विभाग), जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूँ (राज.)

मुकेश कुमार चौहान
शोधार्थी शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, 341306–लाडनूँ (राज.)

सारांश– किसी भी राष्ट्र का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। शिक्षा के अभाव में मानव का सर्वांगीण विकास असंभव है। महान शिक्षा शास्त्री पेस्टालॉजी के अुनसार, ''शिक्षा पाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।'' लेकिन यह तभी संभव है जब इसकी पहुँच समाज के निचले तबके तक पहुँचे। स्वतन्त्रता के पश्चात् संविधन सभा की सलाहाकार समिति के सामने 1948–49 में इस मुद्दे को रखा गया परन्तु समिति ने इसे मौलिक अधिकार का दर्जा ना देते हुए नीति–निर्देशक सिद्धान्त की सूची में स्वीकार किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993 में दिये गये निर्णय में कहा गया कि ''शिक्षा के बिना जीवन का अधिकार अपूर्ण है और 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना राज्य का महत्त्वपूर्ण दायित्व है। इस ऐतिहासिक निर्णय के पश्चात् निर्णय के पश्चात् भारतीय संविधान के 86वें संविधान संसोधन–2002 के अन्तर्गत मूल अधिकारों में 21-A सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उपलब्धता का प्रावधान रखा गया है। इसी क्रम में वर्ष 2006 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का एक मॉडल विधेयक विकसित किया गया था जो 04 अगस्त, 2009 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में पारित हुआ तथा 27 अगस्त, 2009 को भारत के राजपत्र में पारित हुआ। इसके परिणामस्वरूप 01 अप्रेल, 2010 को भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। इस कानून के बन जाने से समाज के दलित, वंचित, पिछड़े श्रमिक वर्ग के बालकों को शिक्षा से जुड़कर सतत् विकास हेतु अग्रसर होने के समुचित अवसर मिलने प्रारम्भ हुए है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 का प्रभावी क्रियान्वयन विद्यार्थियों के सतत् विकास की दिशा में नवीन द्वार खोल रहा है। इसी परिपेक्ष में प्रस्तुत आलेख में शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा विद्यार्थियों के सतत् विकास की ओर दृष्टि डाली गई है।

पृष्ठभूमि– किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके मानव संसाधनों से बनती है। जबकि श्रेष्ठ मानव संसाधन शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। शिक्षा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव का सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

राज्य का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के लिए उचित शिक्षण की व्यवस्था करे। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास की दृष्टि से यह अनिवार्य हो जाता है।

1 शिक्षा के अधिकार से आशय

शिक्षा के अधिकार से तात्पर्य देश के सभी (6–14) वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के कानूनी अधिकार से है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में सरकार द्वारा समय–समय पर कई प्रयास किये गये।

उच्चतम न्यायालय ने 1993 में उन्नीकृष्णन्त मामले में फैसला देते हुए 0–14 वर्ष तक के सभी बालकों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया, लेकिन उस समय शिक्षा को मौलिक अधिकार नहीं बनाया जा सका। सन् 2000–2001 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 'सर्वशिक्षा अभियान' नामक एक योजना चलाई इसका प्रमुख उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को कम से कम 8 वर्ष तक की स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी बालकों को 2003 तक शत प्रतिशत नामांकन कराना, 2007 तक प्राथमिक शिक्षा सम्पन्न करना तथा 2010 तक 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा सम्पन करना हे। इतने प्रयासों के पश्चात् भी 2010 तक लक्ष्य की पूर्ति संभव नहीं हो पाई है।

नवम्बर, 2002 में 93वें संविधान संसोधन द्वारा अनुच्छेद–21 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में अंगीकार किया गया है।

इसके अतिरिक्त अनु. 51 (1) में एक मौलिक कर्त्तव्य जोड़कर माता–पिता के लिए अपने बच्चों को शिक्षा देना एक मौलिक कर्तव्य बनाया गया है।

इसी क्रम में वर्ष 2006 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का एक मॉडल विधेयक विकसित किया गया, जो 04 अगस्त, 2009 को मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में पारित हुआ तथा 24 अगस्त, 2009 को भारत के राजस्व में पारित हुआ। अंततः 01 अप्रेल, 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ।

2 शिक्षा अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

शिक्षा अधिकार अधिनियम सभी बच्चों (6 से 14 वर्ष तक) के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रयास है। जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों पाठ्यक्रम–मूल्यांकन, कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में निर्देश है। इसके प्रमुख नियम निम्नलिखित है (भारत सरकार, 2009)–

Scanned by CamScanner

- भारत के समस्त बच्चों जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक है, को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जायेगी।
- किसी भी बालक को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किये बिना ना तो रोका जायेगा और ना ही अनुतीर्ण किया जायेगा।
- 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जिन्होंने कहीं भी प्रवेश नहीं लिया है, उन्हें उनकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा तथा अन्य बच्चों के समकक्ष लाने के लिए अगर उचित हुआ तो विशेष प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
- जन्म प्रमाण पत्र ना होने की दशा में किसी भी बालक को प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जायेगा।
- सभी निजी स्कूलों दलित, वंचित, पिछड़े, मजदूर, प्रवासी एवं घुमन्तु वर्ग के सभी बच्चों को 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश देगी तथा इस कोटे की कोई भी सीट खाली नहीं रखी जायेगी। इस वर्ग के सभी बच्चों को अन्य दूसरे बच्चों के समान माना जायेगा तथा कोई भी विभेद नहीं किया जायेगा।
- प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान कर रहे सभी विद्यालयों को शिक्षक–छात्र अनुपात पूर्ण करना होगा।
- किसी भी बालक का शारीरिक और मानसिक शोषण अध्यापक, विद्यालय, या प्रबन्धन कमेटी द्वारा नहीं किया जायेगा।
- शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 01 से 5 तक 200 तथा कक्षा 6 से 8 तक न्यूनतम 220 कार्य दिवस अनिवार्य है। फिलहाल 180 कार्य दिवस भी पूर्ण नहीं हो पाते है।
- कक्षा 1 से 5 तक 800 घंटे तथा कक्षा 6 से 8वीं तक 1000 घंटे अध्यापन कार्य अनिवार्य होगा। वर्तमान में इसकी सीमा 700 से 800 घंटे तक ही है।
- प्राथमिक विद्यालय एक किसी तथा उ. प्रा. विद्यालय 3 किमी के दायरे में होना जरूरी है।
- इस कानून को अमल में लाने की जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की होगी इस पर होने वाले खर्च का अनुपात 55:45 है। परन्तु केन्द्र ने 65 प्रतिशत खर्च वहन कर रहा है।
- इस कानून के तहत किसी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो वहाँ पर तीन वर्षों में विद्यालय स्थापित करना आवश्यक है, इसके लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन वचनबद्ध होंगे।
- बच्चों के मानसिक विकास का सतत् मूल्यांकन किया जायेगा।
- प्रत्येक छात्र की शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता का आंकलन करके अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- स्कूल द्वारा बाल केन्द्रित शिक्षण को ध्यान में रखकर बालक की रूचि क्रियाकलापों खोज करने की क्षमता आदि के तहत शिक्षण कराया जायेगा।
- इस कानून के तहत केन्द्र सरकार ने एनसीआईआरटी को शैक्षिक पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया है। इसका प्रमुख कार्य प्रारम्भिक शिक्षा तथा इसके लिए आवश्यक पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर विकास करना है।
- यह कानून बच्चों को खेल–खेल में रोचक विधियों से सिखाकर गुणवतापूर्ण शिक्षा तथा भय, तनाव से मुक्त शिक्षा की माँग करता है।
- अध्यापक द्वारा बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने, उनके साथ घुल–मिलकर उनकी व्यक्तिगत और सीखने संबंधी कठिनाईयों का समाधान करने से बच्चों की झिझक दूर होती है।
- अब विद्यार्थी सुविधानुसार ऑनलाईन अध्ययन पाठ्यसामग्री पढ़ सकते है।

3 शिक्षा अधिकार अधिनियम के समक्ष चुनौतियाँ

शिक्षा अधिकार कानून की राह में अनेक चुनौतियों से परिपूर्ण है। इसे व्यवहारिक रूप से लागू करने में कठिनाईयाँ है लेकिन यदि सरकार की नीति और नियत साफ है तो असंभव नहीं। सरकार का यह निर्णय साहसिक और सराहनीय है कि स्वतंत्रता के 69 वर्षों बाद ही सही मगर उसने यह कदम उठाया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की सफलता के लिए इसके मार्ग की प्रमुख चुनौतियों को सरकार, समाज, समुदाय अध्यापकों और अभिभावकों को निपटना पड़ेगा–

- **शिक्षा नीति में बदलाव या परिवर्तन लाकर–**

हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति में कई तरह के समानान्तर विद्यालय चल रहे है जैसे– परिषदीय विद्यालय, अर्द्धसरकारी विद्यालय, नगर निगम के विद्यालय, निजी विद्यालय आदि। गरीबों के बच्चे सरकारी विद्यालय में अध्ययन करते है जबकि राजनैताओं, अफसरों, अध्यापकों के बच्चे महँगी कान्वेन्ट स्कूलों में अध्ययनरत है। अतः सरकार को चाहिये कि वह ऐसी नीति बनाये कि सभी बच्चे एक ही छत के नीचे अध्ययन कर सके।

- **गरीबी या निर्धनता–**

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देशी की 70 प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य पर निर्भर है। वर्षा की अनियमितता के कारण वर्ष भर काम कृषकों को नहीं मिलता है परिणामस्वरूप अभिभावक अपने बच्चों को पोष्टिक आहार, कपड़े, महँगी किताबें और शिक्षा नहीं दिला सकते। हमारे देश में 30 प्रतिशत भारतीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है।

Scanned by CamScanner